UPKN010034542025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–01 कानपुर नगर
सत्र वाद संख्या 448/2025

उत्तर प्रदेश सरकार

बनाम

विक्रम हबूड़ा पुत्र महिपा हबूड़ा निवासी गली नम्बर 4 सीटीएस बस्ती कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर।

मुकदमा अपराध संख्या 1208/2008
अन्तर्गत धारा 302,201 भा0द0स0
थाना कल्यानपुर कानपुर नगर।

04.06.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अभियोग के मुकदमा अपराध संख्या 1208/2008 अन्तर्गत धारा 302,201 भा0द0स0 थाना कल्यानपुर कानपुर नगर में पुलिस द्वारा अभियुक्तगण दीपक हबूड़ा, विक्रम हबूड़ा, संजय यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। आदेश दिनांकित 24.03.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त विक्रम हबूड़ा के अनुपस्थित होने के कारण उसकी पत्रावली पृथक की गयी थी तथा अन्य अभियुक्तगण का मुकदमा भी निर्णीत हो चुका है।

2. अभियुक्त विक्रम हबूड़ा के अनुपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी किया गया जिस पर थाना कल्यानपुर से आख्या प्राप्त हुयी कि दिये गये पते पर अभियुक्त मौजूद नही है घर खंडहर हालत में है वर्षो से यहॉ कोई नही रहता है। अभियुक्त का कोई पता नही चल रहा है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व जो उत्पीड़ानात्मक आदेशिकाए एन.बी.डब्लू. व धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता अंतिम बार निर्गत की गयी उनमे संबंधित थाने द्वारा यह आख्या दी गयी है कि अभियुक्त का दिये गये पते पर पता नही चल रहा है। इस संबंध में आदेशिका तामीला करने वाले साक्षी घनश्याम लवानिया का बयान बतौर सी0डब्लू0–1 अंकित किया गया जिसमें कथन किया गया कि न्यायालय आदेश अनुपालन में आदेशिका तामील हेतु अभियुक्त के घर गया। विक्रम हबूड़ा कई वर्षो से निवास नही कर रहा है। कथित

मकान का सामान कुर्क किया गया। साक्षी ने गिरफतारी वारंट को प्रदर्श ख–1, 83 सीआरपीसी प्रपत्र को प्रदर्श ख–2, आख्या दिनांकित 13.07.2025 को प्रदर्श ख–3, तहरीर दिनांकित प्रदर्श ख–4, जी डी नम्बर 75 दिनांकित 13.07.2025 को प्रदर्श ख–5 के रूप में साबित किया है। काफी प्रयास के बावजूद उसका पता तस्दीक नही हुआ। वर्तमान में उसका कोई पता नही चल रहा है उसकी कोई जानकारी नही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि कई वर्षो की लम्बी अवधि के दौरान भी पुलिस अभियुक्त विक्रम हबूड़ा को गिरफ्तार करने में असमर्थ रही है, जिस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा अभियुक्त विक्रम हबूड़ा को गिरफ्तार किये जाने की कोई तत्काल सम्भावना न पाते हुए अभियुक्त को भगौड़ा घोषित किया जाकर उसके विरूद्व स्थाई गैर जमानती वारंट किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्त विक्रम हबूड़ा की गिरफ्तारी हेतु स्थाई गिरफ्तारी अधिपत्र नियमानुसार जारी किया जाये।

2. प्रभारी निरीक्षक थाना कल्यानपुर कानपुर नगर को आदेशित किया जाता है कि वह न्यायालय द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी अधिपत्र को थाने के फरारी रजिस्टर में अंकित कर उसका क्रमांक एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में भेजना सुनिश्चित करें। थाना कल्यानपुर कानपुर नगर से फरारी रजिस्टर का क्रमांक प्राप्त होने पर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये। आदेश की प्रति थाना प्रभारी कल्यानपुर को प्रेषित की जाये।

3. भविष्य में यदि अभियुक्त गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा तो पूर्व में अंकित साक्ष्य उसके विरूद्व पढ़ा जायेगा तथा उसके विरूद्व विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. वाद लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे इस पत्रावली के पृष्ठ भाग तथा सूची पर **लाल इंक** से **विनष्ट न होने योग्य** पत्रावली अंकित करें। पत्रावली बिना न्यायालय की अनुमति के विनष्ट न की जाये।

(सपना त्रिपाठी–I)
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–01
कानपुर नगर।

दिनांक–04.06.2026

Digitally signed by Sapna Tripathi
Date: 2026.06.11 17:11:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court